

# एकात्म भारत

जो एकात्म है वही भारत है

अश्विन शुक्ल पक्ष षष्ठी  
शुक्रवार विक्रम संवत् 2076

4-10-2019, इंदौर

e-paper : www.ekatmabharat.com

**आगरा: आंवलखेड़ा में राम बरात के लिए विहिप ने प्रशासन को दिया नई तिथि का विकल्प आगरा**

आगरा में पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य की जन्मस्थली एवं गायत्री शक्तिपीठ आंवलखेड़ा में 11 अक्टूबर को प्रस्तावित राम बरात निकालने की अनुमति न मिलने पर आयोजन समिति ने नया फार्मूला दिया है। समिति का कहना है कि अगर प्रशासन अनुमति देने के लिए तैयार हो तो बरात के लिए तारीख आगे बढ़ाई जा सकती है।

प्रशासन और समिति के बीच लगातार बातचीत हो रही है। प्रशासन का रुख सकारात्मक है। डीएम एनजी रवि कुमार का कहना है कि बातचीत के जरिए इस मुद्दे का हल निकाले जाने का प्रयास चल रहा है। वहीं विहिप ने एलान किया है कि अगर 48 घंटे में राम बरात निकालने के लिए अनुमति नहीं मिली तो महापंचायत का आयोजन होगा।

इसी मुद्दे पर बुधवार को पंचायत घर पर विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल की बैठक हुई। इसमें हर हाल में राम बरात के आयोजन का निर्णय लिया। एलान किया गया कि अगर प्रशासन अनुमति नहीं देता है तो भी 11 अक्टूबर को राम बरात निकाली जाएगी। इसके लिए झांकियां आगरा और अन्य जगहों से मंगाई जाएंगी।

## शक्तियों को संगठित व जागृत करना है संघ का उद्देश्य

गुमला : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांतीय संपर्क प्रमुख राजीव कमल बिट्टा ने कहा है कि समाज के सज्जन व्यक्ति व शक्तियों को संगठित करना और उन्हें जागृत करना आरएसएस का उद्देश्य है। गुमला के परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम भग दो में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गुमला द्वारा आयोजित विजयादशमी उत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बतौर मुख्य वक्ता बिट्टा ने उक्त बातें कहीं। उन्होंने स्वयंसेवकों को संघ के विविध आयामों की चर्चा करते हुए भारतीय संस्कार के पुनर्जागरण के दिशा में किए जाने वाले कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए भारत पर आक्रमण हुए जरूर लेकिन भारत के नैतिक मूल्यों के कारण ही हमारा समाज जीवित है और सशक्त रूप से अग्रसर हो रहा है।

एकात्म भारत ईपेपर पढ़ने के लिए फेसबुक पर दैनिक एकात्म भारत पेज को लाइक कर सकते हैं। इकात्म भारत www.ekatmabharat.com पर भी उपलब्ध है। आप ईमेल ekatmabharat1@gamil.com पर समाचार और सूचनाएं भेज सकते हैं।

# ASI की रिपोर्ट कहती है वहां मंदिर था हिन्दू पक्ष ने स्कंद पुराण का उल्लेख भी किया

नई दिल्ली

अयोध्या मामले में गुरुवार को 36वें दिन की सुनवाई हुई जिसमें राम लला विराजमान के वकील ने कहा कि मस्जिद के नीचे जो स्ट्रक्चर था उसमें कमल, परनाला और वृत्ताकार श्राइन के साक्ष्य मिले हैं। उन्होंने इससे निष्कर्ष निकलता है कि वहां मंदिर था। सदियों से लोग वहां पूजा करते रहे हैं। वहीं ढांचे के नीचे मंदिर का स्ट्रक्चर पाया गया है। वकील ने कहा आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य हमारी आस्था को सपोर्ट करते हैं। वहीं हिंदू पक्षकारों की ओर से यह भी दलील दी गई कि स्कंद पुराण कहता है कि जन्मस्थान पर जाने भर से मोक्ष की प्राप्ति होती है इसलिए भी राम जन्मस्थान हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं सुनवाई के के दौरान किसने क्या कहा

राम लला विराजमान के वकील सीएस वैद्यनाथन: मस्जिद के नीचे जो खुदाई हुई उसमें विशाल स्ट्रक्चर मिला है और उसमें परनाला दिखा है जो मंदिर का हिस्सा है। इस तरह के अवशेष दीवारों में मिले हैं जो 10वीं और 11वीं सदी के हैं। जो चित्र हैं उनसे साबित होता है कि विवादित ढांचा पिलर पर बनाया गया था। पिलर ढांचे के नीचे था। उसी के ऊपर पिलर बेस पर विवादित ढांचा बना था। इससे साबित होता है कि विवादित ढांचे के नीचे स्ट्रक्चर था।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड: आप कैसे साबित करेंगे कि जो भी पिलर था वह एक

स्ट्रक्चर में ही था?

वैद्यनाथन: एक लेवल पर 36 पिलर थे और दूसरे लेवल पर चार पिलर थे। मुस्लिम पक्षकार पहले तो कहते थे कि वहां नीचे कोई स्ट्रक्चर था ही नहीं लेकिन बाद में कहा कि वह इंदगाह था।

मुस्लिम पक्षकार के वकील राजीव धवन: लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह पता चले कि पुराने स्ट्रक्चर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी।

वैद्यनाथन: कैसे एएसआई (आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया) ने निष्कर्ष निकाला कि जो विवादित ढांचे के नीचे स्ट्रक्चर था वह मंदिर था? दरअसल जो स्ट्रक्चर था उसमें कमल का रुपांकन, वृत्ताकार श्राइन, परनाला आदि था जो उत्तर भारतीय मंदिरों में मौजूद होता है। दूसरे पक्षकार यह बात स्वीकार कर रहे हैं कि अयोध्या में राम का जन्म हुआ था लेकिन विवाद जन्मस्थान को लेकर कर रहे हैं। यह हमारी दलील है कि विवादित ढांचे के नीचे विशाल स्ट्रक्चर है और हिंदू वहां सदियों से पूजा करते आ रहे हैं तो इस बात में कोई विवाद नहीं होना चाहिए कि वह स्ट्रक्चर हिंदुओं का था।

जस्टिस चंद्रचूड: लेकिन जो फीचर हैं वे बौद्ध धर्म में भी पाए जाते हैं। लेकिन आपको साबित करना है कि यह मंदिर का ही था। क्या साक्ष्य है कि ये मंदिर 8 शताब्दी पुराना है? आस्था और विश्वास पर कोई सवाल नहीं है, यहां हम साक्ष्य की बात कर रहे हैं।

वैद्यनाथन: हम कही सुनी आस्था की



बात को खारिज नहीं कर सकते। यहां तक कि कुरान भी इसी तरह की बात को मानता है। जन्मभूमि अपने आप में स्वतंत्र रूप से न्यायिक व्यक्ति है।

हिंदू पक्षकार के वकील पीएस नरसिंम्हा: आस्था और विश्वास एक तथ्य है और उसे साबित करना हमारा काम है। दूसरे पक्षकार का कहना है कि हमारा पूजा का अधिकार विश्वास और आस्था पर आधारित है। 1961 का फैसला है कि पूजा का अधिकार सिविल राइट्स है। आस्था और विश्वास धार्मिक नीति के हिसाब से साबित होना चाहिए। स्कंद पुराण कहता है कि मोक्ष जरूरी है। श्लोक कहता है कि राम जन्मस्थान पर जाने भर से मोक्ष की प्राप्ति होती है। राम के जन्मस्थान से ही सबकुछ शुरू होता है। इसी कारण जन्मस्थान पर जाना हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कभी भी मस्जिद के वजूद को अकेले नहीं बताया गया

बल्कि हमेशा कहा गया कि वहां हिंदू पूजा करते थे। इसके लिए आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य भी मौजूद हैं। हमारी आस्था सदियों से है कि वह जन्मस्थान है। स्कंद पुराण में राम जन्मभूमि की बात है ऐसे में वह सदियों से हैं। आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य हमारी आस्था को सपोर्ट करता है।

एडवोकेट जैन: हमने आंतरिक और बाहरी आंगन को अलग करके कभी नहीं देखा। क्योंकि विवाद तो अंदर के आंगन को लेकर ही है। अखाड़ा के पास बाहरी आंगन का पवेशन पहले से था, जब अंदर के आंगन के लिए सूट दाखिल किया गया था। सुशील जैन: राम चबूतरा पर हमारा पवेशन था। दूसरे पक्ष को साबित करना होगा कि उनका मालिकाना हक है। सुनी वक्फ बोर्ड का दावा अंदर के आंगन पर है। लेकिन पूरा स्ट्रक्चर ही एक समग्र इलाका है जो न्यायिक व्यक्ति है।

## कश्मीर के लोगों में एकात्मता का भाव जागृत करना हमारी जिम्मेदारी

**अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख अरुण कुमार जी ने कहा लाहौर**

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा "जम्मू-कश्मीर - राष्ट्रीय एकात्मता का संकल्प" विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। जिसमें अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख अरुण कुमार जी मुख्य वक्ता रहे।

जम्मू कश्मीर के विषय में चर्चा करते हुए अरुण जी ने कहा कि आज जम्मू कश्मीर में जो निर्णय लिया जा सका है, उसका श्रेय महाराजा हरि सिंह, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, मकबूल शेरवानी, मास्टर अब्दुल अजीज, कर्नल चुआंग, पंडित प्रेमनाथ डोगरा, बलराज मधोक और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे वीरों के बलिदान को

जाता है। उन्होंने अपने प्राण समर्पित कर दिए और इनके प्रयासों से आज कश्मीर में एक विधान, एक प्रधान और एक निशान का संकल्प पूरा हुआ है।

अरुण जी ने अनुच्छेद 370 पर डॉक्टर आंबेडकर के विचारों के विषय में भी चर्चा की। साथ ही अन्य समकालीन नेता इस विषय में क्या विचार रखते थे, इस पर भी प्रकाश डाला। जम्मू-कश्मीर के विलय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक श्री गुरुजी एवं संघ की भूमिका पर भी विस्तृत चर्चा की। अरुण जी ने कहा कि 72 वर्षों की यात्रा में देश के हर देशप्रेमी नागरिक, विभिन्न सामाजिक संगठनों और यहां तक कि विपक्ष के नेताओं ने भी कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने में अपना सहयोग दिया। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370

तो हटाया जा चुका है, मगर अभी हमें अलावावाद, आतंकवाद और कट्टरवाद से जम्मू कश्मीर को मुक्त करना है, इसके बिना जम्मू कश्मीर कभी समृद्धि और शांत नहीं हो पाएगा।

जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद राष्ट्र के अन्य लोगों की इसमें क्या भूमिका हो, इस विषय पर बात करते हुए अरुण जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों में देश के साथ एकात्मता का भाव जागृत करने के लिए यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम एक राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा करें और हम जम्मू कश्मीर के लोगों को यह अहसास दिलाएं कि देश उनका स्वागत करता है और देश के सभी लोग उनके विकास में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं।